भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2329

जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सरफेसी अधिनियम का दुरुपयोग

2329. श्री मनीश तिवारी:
एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बैंकों और एनबीएफसी द्वारा, विशेषकर एमएसएमई के विरुद्ध, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के दुरुपयोग के मामलों की जानकारी है, जिसमें एनपीए का गलत वर्गीकरण और उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन शामिल है;

(ख) क्या एनबीएफसी द्वारा संपत्ति ऋण स्वीकृत करते समय आरबीआई और सरफेसी के दिशानिर्देशों की अनदेखी करने और बलपूर्वक वसूली के उपाय करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कब्जा देने से पहले जिला मजिस्ट्रेटों को आरबीआई के मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करने और ऋण स्वीकृति दस्तावेजों की जांच करने का आदेश देने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का इरादा है कि वसूली कार्यवाही शुरु करने से पहले उधारकर्ताओं को एकमुश्त निपटान (ओटीएस) विकल्प दिया जाए; और

(ड.) यदि हां, तो सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत निष्पक्ष प्रवर्तन और नियामक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): केन्द्र सरकार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) को प्रशासित करती है, जिसमें बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय/अधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना उनके प्रतिभूति हितों को लागू करके एक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक की अपनी देयराशियों की वसूली करने के लिए सक्षम विधिक ढांचा प्रदान करता है। बैंकों के मामले में, विनिर्दिष्ट सीमा 1 लाख रुपये है और एनबीएफसी के मामले में, जिनका आस्ति आकार 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, यह सीमा 20 लाख रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण वसूली नीति होना अपेक्षित है और ऋण वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें उसी के अनुसार निर्देशित किया जाता है। सरकार ऐसे निर्णयों में शामिल नहीं है। इसके अलावा, उधारकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 और 18 में यह प्रावधान है कि एमएसएमई सहित कोई व्यक्ति, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत एक सुरक्षित लेनदार की कार्रवाई के विरुद्ध ऋण

वसूली अधिकरण (डीआरटी) में प्रतिभूतिकरण आवेदन (एसए) दायर कर सकता है। साथ ही, डीआरटी के किसी भी फैसले को ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) में चुनौती दी जा सकती है।

इसके अलावा, बैंकों और एनबीएफसी को ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान प्रतिदर्श आधार पर ऋणदाताओं द्वारा सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जाती है और यदि कोई गैर अनुपालना पाई जाती है तो पर्यवेक्षी/प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के अलावा सुधार के लिए संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक/एनबीएफसी के समक्ष मामले को रखा जाता है।

(ख): भारतीय रिज़र्व बैंक के उचित व्यवहार संहिता पर दिनांक 1.7.2015 के मास्टर निदेशों के अनुसार, एनबीएफसी को यह सलाह दी जाती है कि वे ऋण की स्वीकृति/संवितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार में उल्लिखित सभी संलग्नकों की एक-एक प्रति के साथ उधारकर्ता द्वारा समझे गए ऋण करार की एक प्रति प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी सहित सभी विनियमित संस्थाओं को सख्ती से यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि वे अथवा उनके एजेंट ऋण वसूली के प्रयासों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मौखिक अथवा शारीरिक किसी भी प्रकार की धमकी अथवा उत्पीड़न का सहारा न लें, जिसमें देनदारों के परिवार के सदस्यों, संपर्की व्यक्तियों और मित्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने अथवा उनकी निजता में अतिक्रमण, अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी और/या गुमनाम कॉल करना, उधारकर्ता को लगातार कॉल करना और/या उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना एवं मिथ्या और भ्रामक अभ्यावेदन करने के आशय से किए गए कार्य शामिल हैं|

(ग): सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को आवेदन करना आवश्यक है। ऐसा आवेदन करते समय, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी सीएमएम/डीएम को विधिवत पुष्टि किए गए शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसे शपथ-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण राशि, प्रतिभूति हित का सृजन, चुकौती में चूक, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन, उधारकर्ता से प्राप्त आपत्ति/अभ्यावेदन और उसे स्वीकार न किए जाने के कारणों के संबंध में घोषणा शामिल होती है।

(घ): आरबीआई के दिनांक 8.6.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को किसी भी समझौता निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि समझौता निपटान का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के सर्वोत्तम हित में न्यूनतम व्यय पर किसी विपदाग्रस्त उधारकर्ता से संभावित वसूली को अधिकतम करना है। आरई उक्त नीति के आधार पर समझौता निपटान के संबंध में निर्णय लेते हैं।

(ड.): जैसा कि भाग (क) से (ग) में उल्लेख किया गया है, सरफेसी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं ताकि निष्पक्ष प्रवर्तन और विनियामकीय निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, सरफेसी अधिनियम की धारा 19 में उधारकर्ता को मुआवजा और लागत प्राप्त करने के अधिकार प्रदान किये गए हैं, यदि कोई न्यायालय या अधिकरण यह मानता है कि प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

*****